राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 445/2014/जयपुर.
2. अपील संख्या –2104/2014/जयपुर.

मैसर्स मोहेन्द्रा कोच फैक्ट्री प्रा0 लिमिटेड, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–तृतीय, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मोती कोटवानी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/04/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 31/सीएसटी/2013–14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.03.20104 एवं अपील संख्या 131/सीएसटी/2014–15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों के द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जयेगा) की धारा 24 व 55 के तहत पारित किये गये आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

अपील संख्या	अपीलीय आदेश दिनांक	क.नि.आ.दिनांक	अवधि	मांग राशि
445/2014	12.03.2014	21.03.2013	2010–11	39,22,716
2104/2014	31.10.2014	05.03.2014	2011–12	1,22,14,304

2. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तहत संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Fabrication of Mobile Bus Body का कार्य किया जाता था, जिसे अपीलार्थी ने वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट मानते हुए अधिनियम की धारा 81(3) के तहत दिनांक 11.8.2006 को जारी अधिसूचना संख्या F.12(63)FD Tax/2005-80 के तहत विमुक्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था जिसे सक्षम अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया एवं अपीलार्थी के कार्य को

लगातार.....2

संविदा कार्य के बजाय माल का विक्रय माना। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने इसे Works Contract माना परन्तु उस अपीलीय आदेश के विरूद्ध अपील की जाने पर माननीय कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 15.01.2013 में अपीलार्थी के कार्य को कार्य संविदा नहीं मानते हुए केवल माल का विक्रय माना गया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिवीजन संख्या 62/2013 से 72/2013 दायर की जाने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.02.2017 को निर्णय पारित कर राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 15.01.2013 को अपास्त कर दिया एवं अपीलार्थी के बस बॉडी निर्माण कार्य को अधिनियम की धारा 2(44) के तहत Works Contract मान लिया गया।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में **माननीय उच्चतम न्यायालय के कोन एलिवेटर बनाम तमिलनाडू राज्य** के निर्णय के आलोक में अपीलार्थी का कार्य, कार्य संविदा माना गया है जिसको उद्धरित किया जाता है :—

> "In my view, taking into consideration the aforesaid, the claim of learned counsel for the Revenue that the body has been sold, is not found to be justified in view of the latest judgment of Apex court in Kone Elevator of India Pvt. Ltd. v. State of Tamil Nadu (supra), the petition deserve to succeed and it is held that the work accomplished by the assessee is in the nature of works contract and accordingly would be charged tax or exemption fee as the case may be ."

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक एवं विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

6. उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.02.2017 के द्वारा अपीलार्थी के कार्य को Work contract होना निर्णीत किया जा चुका है एवं कर बोर्ड के आदेश दिनांक 15.01.2013 को अपास्त कर दिया गया है।

7. फलतः कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 15.01.2013 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 21.03.2013 व 05.03.2014 एवं अपीलीय आदेश दिनांक 12.03.2014 व 30.10.2014 अपास्त किये जाते हैं एवं अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की जाकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में नियमानुसार मुक्ति प्रमाण—पत्र जारी करने के निर्देश के साथ प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।

4/10/2017

(के. एल.जैन)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष